9/5/18 प्रार्थिया कि ओर से उनकी संरक्षक माता श्रीमति रेखा देवी द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली नियत तिथि से पूर्व तलब होकर पेश हुई। प्रार्थना पत्र मे अंकित किया कि राजस्व लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रकरण आगे नही चलाना चाहती है सहमति बाबत प्रार्थिया की संरक्षक माता के हस्ताक्षर करवाये एवं पहचान श्री गंगाराम गुर्जर एड० द्वारा की गयी।

224(4)

Fd. by Examined 9/5/18

प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व लोक अदालत की भावना को देखते हुए प्रार्थना पत्र विद्धा कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना